श्रमिक मोर्चा

छत्तीसगढ सर्वविभागीय अस्थाई आकस्मिक पूर्णकालिक विभागीय दैनिक वैतनिक श्रमायुक्त दर श्रमिक मोर्चा

प्रदेश कार्यालयः अमलीडीह पुलिस क्वाटर सडक, पुष्पांजलि कॉलोनी स्ट्रीट 2 रायपुर (छ.ग.)

@labour_morcha

cgcrcrlmorcha@gmail.com

सलाहकार अधिवक्तागण
प्रवेश शर्मा
(उच्च न्यायालय)
+91 7974822899
यामिनी मैथिल
(जिला न्यायालय)
+91 8815119232
प्रदेश संयोजक
श्रीमती गीता यादव
+91 7987399199
अजय त्रिपाठी
+91 8109138087
पंकज पाण्डेय
+91 8770196081
प्रदेश अध्यक्ष
आकाशदीप राठौर
+91 9993518554
प्रदेश कार्यकारी अध्यक्षगण
हारून मानिकपुरी
खेमचंद साहू
रोहित कापरे
राजेश कुमार सिन्हा
हीरालाल ध्रुव
दिपेश भतपहरी
कुलदीप नामदेव
प्रदेश उपाध्यक्ष
देवेन्द्र साहू
+91 9926633769
श्रीमती दिव्या सिंह
+91 6264760510
प्रदेश प्रवक्ता
सत्यम शुक्ला
+91 9406302000
प्रदेश सचिव/कार्यालय प्रभारी
एच.एस. तिवारी
+91 9406252710
प्रदेश कोषाध्यक्ष
रवि कुमार पाल
+91 9753727018

दिनांक 13/02/26

क्र. 004

प्रति,

महामहिम राज्यपाल महोदय जी
छत्तीसगढ़ शासन

विषयः— **प्रदेश के 36 हजार पूर्णकालिक दैनिक मासिक श्रमिको के लिए बजट सत्र 2026 में स्थाईकरण योजना "माता कौशल्या को समर्पित करते हुए" न्यूनतम से न्यूनतम मात्र 1 वर्ष सीमा बंधन तय कर लागू करने की मार्मिक अपील बाबत।**

मार्मिक अपील

O/C

महोदय हमारे प्रदेश में 4 नए श्रम सहिता के लागू होने के पश्चात दैनिक श्रमिक मोर्चा अपने दो महत्वपूर्ण माँग जिसमे विगत चार वर्ष पूर्व के माता कौशल्या स्थाईकरण योजना लागू करने की मांग रखना सदैव के लिए बंद करने विवश हो जाएगा वही दूसरी माँग बारीक कमिटी में सदस्य बनाने की मांग रखना सदैव के लिए बन्द करना पड़ेगा।

चूंकी 240 कार्य दिवस 1948 की धारा 61 और 63 के औद्योगिक अधिनियम के आधार पर मध्य प्रदेश में वर्ष 2016 का स्थाईकरण 10 वर्ष समय सीमा तय कर लागू किया गया था, उसके बाद वर्ष 2023 में ही मध्य प्रदेश के सविंदा कर्मियों के लिए 5 वर्ष समय सीमा तय कर पुनः स्थाईकरण लागू किया गया, राजस्थान में गहलोत सरकार द्वारा 2023 में दैनिक श्रमिको एवँ सविंदा कर्मियों के लिए 5 वर्ष समय सीमा तय कर स्थाईकरण किया गया जिसे वर्तमान भाजपा की भजन लाल सरकार ने समय सीमा को न्यूनतम कर 2 वर्ष लागू कर दिया, छत्तीसगढ़ में शिक्षा कर्मियों के सविलियन पूर्व लागू योजना स्थाईकरण ही थी, पुराने श्रम कानून के समाप्त होने के साथ ही छत्तीसगढ़ सरकार किस कानूनी आधार पर स्थाईकरण लागू कर पाएगी ? बड़ा संदेह है। मध्य प्रदेश में 1948 का यह पुराना कानून समाप्त हो चुका है, 4 नए श्रम सहिता लागू हो चुके है अब वहां स्थाईकरण दुबारा किसी कर्मचारी का सम्भव नही है, इसका विरोध प्रदर्शन भी वहां हो रहा है।

13/2/26

छत्तीसगढ सर्वविभागीय अस्थाई आकस्मिक पूर्णकालिक विभागीय दैनिक वैतनिक श्रमायुक्त दर श्रमिक मोर्चा

प्रदेश कार्यालयः अमलीडीह पुलिस क्वाटर सडक, पुष्पांजलि कॉलोनी स्ट्रीट 2 रायपुर (छ.ग.)

@labour_morcha

cgcrcrlmorcha@gmail.com

सलाहकार अधिवक्तागण

प्रवेश शर्मा
(उच्च न्यायालय)
+91 7974822899

यामिनी मैथिल
(जिला न्यायालय)
+91 8815119232

प्रदेश संयोजक

श्रीमती गीता यादव
+91 7987399199

अजय त्रिपाठी
+91 8109138087

पंकज पाण्डेय
+91 8770196081

प्रदेश अध्यक्ष

आकाशदीप राठौर
+91 9993518554

प्रदेश कार्यकारी अध्यक्षगण

हारून मानिकपुरी
खेमचंद साहू
रोहित कापरे
राजेश कुमार सिन्हा
हीरालाल ध्रुव
दिपेश भतपहरी
कुलदीप नामदेव

प्रदेश उपाध्यक्ष

देवेन्द्र साहू
+91 9926633769

श्रीमती दिव्या सिंह
+91 6264760510

प्रदेश प्रवक्ता

सत्यम शुक्ला
+91 9406302000

प्रदेश सचिव/कार्यालय प्रभारी

एच.एस. तिवारी
+91 9406252710

प्रदेश कोषाध्यक्ष

रवि कुमार पाल
+91 9753727018

महोदय आप के माध्यम से छत्तीसगढ़ सरकार के मुखिया श्री विष्णु देव साय जी को सुझाव निर्देश इस आवेदन की जांच परीक्षण उपरांत देने की प्रार्थना है न्यूनतम से न्यूनतम 1 वर्ष की समय सीमा बंधन (ताकि 2028–29 के चुनाव में स्थाईकरण लागू वर्ष बंधन घटाना चुनावी मुद्दा किसी दल के घोषणा पत्र में न बने) तय करते हुए, 8 अलग अलग प्रकार में से जिस प्रकार के विभागीय दैनिक वैतनिक पुर्णकालिक श्रमायुक्त दर के श्रमिको का स्थाईकरण सीधे संभव है, 8 अलग अलग प्रकार में से जिन प्रकार के सविंदा का स्थाईकरण सीधे संभव उन्हें 1 अप्रैल 2026 से पूर्व लागू करने की कृपा करें। भाजपा के चुनावी वर्ष 2023 में विडीयो जारी तत्कालीन प्रत्याशी वर्तमान वित्त मंत्री माननीय ओपी चौधरी जी द्वारा किये गए वादे के कथन सत्य साबित हो सके जिसमे उन्होंने स्थाईकरण योजना की सराहना की थी।

महोदय दैनिक श्रमिक मोर्चा बारीक कमिटी में सदस्य बनकर पत्राचार के माध्यम से स्थाईकरण योजना लागू करने की माँग/सुझाव ही रखता। अब यह विकल्प 1 अप्रैल से समाप्त जो जाएगा। आप जैसे सवेदनशील राज्यपाल से मोर्चा ने पूर्व में जब जब ज्ञापन दिया माँग जरूर पूरी हुई है। यह सत्य है। आप को इस हेतु कोटि कोटि आभार !

विशेष प्रार्थनाः– श्रम कानून अंतर्गत ओव्हर टाइम, नियुक्ति आदेश मिलने के नियम,केंद्रीय न्यूनतम वेतन मान श्रमायुक्त दर लागू होने कि विशेष खुशी छत्तीसगढ़ प्रदेश के हम समस्त निजी व शासकीय विभाग में कार्यरत लाखो श्रमायुक्त दर दैनिक श्रमिको को है।आप के माध्यम से सरकार को सुझाव है जिस प्रकार विधानसभा सत्र के मध्य ओपीएस लागू होंने की घोषणा पूर्व सरकार द्वारा की गई थी उसी तर्ज में इस बजट सत्र 2026 में स्थाईकरण की घोषणा संभव हो तो की जाए।

उपरोक्तानुसार

भवदीय

कुलदीप नामदेव | हारून मानिकपुरी | दिव्या सिंह | रोहित कापरे | आकाशदीप राठौर | हीरालाल ध्रुव

देवेन्द्र साहू | खेमचंद साहू | पंकज पाण्डेय | दिपेश भतपहरी | सत्यम शुक्ला | अजय त्रिपाठी

एच.एस. तिवारी | राजेश कुमार सिन्हा | गीता यादव

"अपन अधिकार अउ अपन कर्तव्य दुन्नो बर आगू रहवैया संगठन"